न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 279/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री गौरव कुमावत **पंजीकृत कार्यालयः**–702, सेवेन्थ फ्लोर, यूनिक एस्पायर, प्लॉट नंबर 13–14 कॉस्मो कॉलोनी, आम्रमाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर 302021

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **सज्जन सिंह पुत्र हनुतदान** निवासी वार्ड न. 9, सुरत राम की ढ़ाणी ग्राम धींगपुर तहसील दांतारमगढ़, जिला सीकर राज. 332601
2. **लाड कंवर पत्नी सज्जन सिंह** निवासी वार्ड न. 9, सुरत राम की ढ़ाणी ग्राम धींगपुर तहसील दांतारमगढ़, जिला सीकर राज. 332601
3. **सीरे कंवर पत्नी मनोहर सिंह** निवासी वार्ड न. 9, सुरत राम की ढ़ाणी ग्राम धींगपुर तहसील दांतारमगढ़, जिला सीकर राज. 332601
4. **प्रहलाद पुत्र गणेश राम** निवासी ढ़ाणी पियावाली दांतारामगढ़, चैनपुरा, धींगपुर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज. 332601

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 23 फरवरी, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री राहुल पारीक** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **सज्जन सिंह पुत्र हनुतदान, लाड कंवर पत्नी सज्जन सिंह, सीरे कंवर पत्नी मनोहर सिंह व प्रहलाद पुत्र गणेश राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति आवासीय मकान वार्ड न. 9 सुरत राम की ढ़ाणी ग्राम धींगपुर तहसील दांतारमगढ़, जिला सीकर राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

586.5 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में अनुदान सिंह बारेठ की गुवाड़ी, पश्चिम दिशा में रोड़, उत्तर दिशा में सहदेव बारेठ की गुवाड़ी व दक्षिण दिशा में रोड़ है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹5,99,874/– रूपये (अक्षरे रूपये पांच लाख निन्यानवे हजार आठ सौ चौहतर) का ऋण स्वीकृत** कर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **23.08.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **23.08.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **सज्जन सिंह पुत्र हनुतदान, लाड कंवर पत्नी सज्जन सिंह, सीरे कंवर पत्नी मनोहर सिंह व प्रहलाद पुत्र गणेश राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति आवासीय मकान वार्ड न. 9 सुरत राम की ढ़ाणी ग्राम धींगपुर तहसील दांतारमगढ़, जिला सीकर राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 586.5 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में अनुदान सिंह बारेठ की गुवाड़ी, पश्चिम दिशा में रोड़, उत्तर दिशा

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

में सहदेव बारेठ की गुवाड़ी व दक्षिण दिशा में रोड़ है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **23 फरवरी, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर